

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जनवरी 2022—पौष 27, शक 1943

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2022

क्र. एफ-3-5-2021-छब्बीस-1 .- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन हेतु, एतद्द्वारा अनुसूची-1 के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की स्थापना में अनुसूची-2 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :-

अनुसूची-1

- (1) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अनुसूची-2

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित कुल पद (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	अभि युक्ति
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय	शीघ्रलेखक	15	15	01	00	00	01	00	01	
	लइब्रेरियन	01	01	00	00	00	00	00	00	
	स्टेनोटाईपिस्ट	30	30	02	00	00	01	01	02	
	सहायक श्रेणी-3	45	45	03	01	01	01	00	03	
चतुर्थ	आदेश वाहक	15	15	01	00	01	00	00	01	
	भृत्य	60	60	04	01	01	01	01	04	
	फर्राश	18	18	01	00	01	00	00	01	
	योग:-	184	184	12	02	04	04	02	12	

Bhopal, the 17th January 2022

No.F-3-5/2021/26-1 :: In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016), for the identification of the posts for the disabled persons, under the provisions of rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, committee for identification of posts, hereby, identifies the posts reserved for the disabled persons as per the specifications prescribed in Schedule-2 in the establishment of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department of Schedule-1

Schedule - 1

- (1) Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department

Schedule - 2

Identification of Posts for the Disabled

Department- Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and no.				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Third	Stenographer	15	15	01	00	00	01	00	01	
	Liberian	01	01	00	00	00	00	00	00	
	Steno typist	30	30	02	00	00	01	01	02	
Fourth	Assistant Grade 3	45	45	03	01	01	01	00	03	
	Aadesh vahak	15	15	01	00	01	00	00	01	
	Peon	60	60	04	01	01	01	01	04	
	Farrash	18	18	01	00	01	00	00	01	
	Total	184	184	12	02	04	04	02	12	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतीक हजेला, प्रमुख सचिव.